न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/29

सालगराम पुत्र कान्हा निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज.

––अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र कान्हा जाति काछी निवासी कैलादेवी मन्दिर के पास, ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
2. बाबूलाल पुत्र कान्हा जाति काछी निवासी ग्राम चन्द्रपुरा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
3. रोडी बाई पुत्री कान्हा जाति काछी निवासी पंचायत के चौक के पास, कुशवाहा मोहल्ला, ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
4. कस्तुरी बाई पुत्री कान्हा जाति काछी(डिलीट)
5. रामलाल पुत्र हीरा जाति काछी निवासी नये कुएं के पास, ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
6. अमरलाल पुत्र हीरा जाति काछी
7. लक्ष्मण पुत्र हीरा जाति काछी
8. नन्दलाल पुत्र हीरा जाति काछी निवासी कैलादेवी मन्दिर के पास, नि.ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
9. रमेश पुत्र हीरा जाति काछी निवासी ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
10. सोहन बाई पुत्री हीरा जाति काछी निवासी कुशवाहा मोहल्ला, भैरूजी के चबूतरे के पास ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
11. गोविन्द बाई पुत्री हीरा जाति काछी निवासी ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान
12. मंगलम सीमेन्ट आदित्य नगर मोडक जरिये प्रबन्धक
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री अशोक कुमार मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से।

अपील संख्या 2025/29
सालगराम बनाम देवीलाल वगै0

3. श्री अमित कुमार जाटव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 28.05.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 42/2013 में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 30.01.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता नम्बर 69 पर निम्न खसरा नम्बरान की भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 11 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 ता 4 का 1/10, 1/10 हिस्सा है। व प्रतिवादी नं0 5 ता 11 का 1/2 यानी प्रत्येक का 1/12 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2004 से 2024 पेश है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1203 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1206 की 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1217 की 0.15 हैक्टर कुल तीन किता की 0.29 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता नम्बर 184 पर निम्न खसरा नम्बरान की भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 12 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2004 से 2024 पेश है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1205 की 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1213 की 0.04 हैक्टर खसरा नम्बर 1216 की 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 2465 की 1.92 हैक्टर कुल चार किता की 2.18 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमियों में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 6 ता 11 का 1/2 हिस्सा है। यानी वादी व प्रतिवादी नं० 1 ता 4 प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा है। किन्तु प्रतिवादी नं0 6 ता 11 ने खसरा नम्बर 2465 की 1.92 हेक्टर भूमि में से अपने 1/2 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी नं0 12 को बेचान करदी है जो प्रतिवादी नं0 12 के नाम दर्ज हो चुकी है । ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजम्माडी जिला कोटा में खाता नम्बर 36 पर निम्न खसरा नम्बरान की भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 11 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2004 से 2024 पेश है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 90 की 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 की 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 109 की 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 की 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 199 की 3.16 हैक्टर, कुल छः किता की 7.85 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित भूमियों में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 6 ता 11 का 1/2 हिस्सा है। किन्तु प्रतिवादी नं0 3 व 4 ने अपने हिस्से की आराजी कों प्रतिवादी नं0 2 के हक में हक त्याग कर दिया इस कारण उक्त भूमियों में वादी का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 का 3/10 हिस्सा है। तीनों खातों की भूमयों में वादी का 1/10, 1/10 हिस्सा है और अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण आये दिन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कडता लगान जमा करने में विवाद व झगड़ा होने लग गया है। इस

कारण वादी ने प्रतिवादीगण से उपरोक्त भूमि का विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। प्रतिवादी नं0 1 व 2 एक राय होकर आये दिन वादी के 1/10 हिस्से के कब्जे में दखल पैदा करते रहते है ओर बंटवारा की कहने पर बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 25–3–2013 को प्रतिवादी नं0 1 व 2 वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर आये ओर वादी द्वारा अपने हिस्से में बोई हुई फसल को काट लेने की धमकी दी तथा कहा कि वे बिना बंटवारा कराये ही उपरोक्त भूमि के हिस्से को बेचान व खुर्द बुर्द कर देगे। जबकि प्रतिवादीगण को बिना बंटवारा कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने व वादी के 1/10 हिस्से की कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी उपरोक्त भूमि के 1/10 हिस्से का खातेदार है। इस कारण वादी के लिये उपरोक्त भूमि का विभाजन कराना व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त अवैध कृत्य करने से रोका जाना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद पेश है। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बंटवारा करने से इन्कार करने व वादी के 1/10 हिस्से के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने तथा बिना बंटवारा कराये दिनांक 25–3–2013 को भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे –(1) कि वाद पत्र की मद नं० 1 में अंकित भूमि ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 1203 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1206 की 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 1217 की 0.15 हैक्टर कुल तीन किता की 0.29 हैक्टर भूमि का वादी एंव प्रतिवादी गण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 1/10 हिस्से की भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिकी पारित की जावे व अलग से लगान कायम किया जावे। (2) कि वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित भूमि ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 1205 की 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1213 की 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1216 की 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 2465 की 1.92 हैक्टर कुल चार किता की 2.18 हैक्टर भूमि का वादी एंव प्रतिवादी गण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 1/10 हिस्से की भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिकी पारित की जावे व अलग से लगान कायम किया जावे। (3) कि वाद पत्र की मद नं0 4 में अंकित भूमि ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 90 की 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 की 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर, 109 की 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 की 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 199 की 3.16 हैक्टर कुल छः किता की 7.85 हैक्टर भूमि का वादी एंव प्रतिवादी गण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 1/10 हिस्से की भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिकी पारित की जावे व अलग से लगान कायम किया जावे। (4) कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी को ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 1203 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1206 की 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1217 की 0.15 हैक्टर कुल तीन किता की 0.29 हेक्टर भूमि, व खसरा नम्बर 1205 की 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1213 की 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1216 की 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 2465 की 1.92 हैक्टर कुल चार किता की 2.18 हैक्टर भूमि तथा ग्राम चन्द्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 90 की 1.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 99 की 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 109 की 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 149 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 की 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 199 की 3.16 हेक्टर कुल छः किता की 7.85 हैक्टर भूमि में से 1/10 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा

नहीं करे, काश्त करने से नहीं रोके ओर उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे। (5) कि प्रतिवादी नं0 13 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। (6). कि वादी को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे। (7). अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2019 को वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा दिनांक 31.01.2020 को वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 31.01.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 31.01.2020 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 31.01.2020 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 12 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव और उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित की गई अन्तिम डिक्री नियमानुसार नही होने से अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस के मध्य उक्त डिक्री की पालना किया जाना संभव नही है क्योकि अपीलाण्ट का मौके पर खसरा नम्बर 99 की लगभग 0.70 है० भूमि पर, खसरा नम्बर 150 की रकबा 0.26 है० एंव खसरा नम्बर 2465 की भूमि पर कब्जा चला आ रहा है किन्तु फिर भी अन्तिम डिक्री मे उक्त खसरा नम्बरान का विभाजन अपीलाण्ट के कब्जे के विपरीत कर दिया गया और रास्ते के संबध में कोई भी प्रावधान नही किये गये है तथा खसरा नम्बर 190 का गलत अंकन कर दिया गया है। इसलिये अन्तिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अन्तिम डिक्री मे खसरा नम्बर 149 की रकबा 0.01 है० चाही प्रथम है जिस पर भी सिचाई हेतु अपीलांट व रेस्पो० को उपयोग उपभोग के लिये निर्देशित नहीं किया गया है जिसके तहत अपीलाण्ट व रेस्पो० के मध्य आये दिन मौके पर वाद विवाद होते है और अपीलांट को उक्त कुऐं से ना तो पानी पीने के लिये और ना ही सिचांई के लिये उपयोग करने

दिया जाता है और रेस्पोडेण्टस के द्वारा अपीलांट से अनावश्यक वाद विवाद किया जाता है जिसके संबंध में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस के मध्य कई बार मौके पर वाद विवाद हो चुका है इसलिये अन्तिम डिकी को निरस्त किया जाना आवश्यक है। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल नियम 18–21 की पालना नहीं की गई है और ना ही समय समय पर राजस्व मण्डल के द्वारा रास्ते के संबध मे जारी किये गये परिपत्रो की पालना की गई जिसके कारण मौके पर पक्षकारान के मध्य अर्थात अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस के मध्य अन्तिम डिकी की पालना नही की जा सकी और मौके पर विवाद की स्थिति बनी हुई है उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय व डिकी को निरस्त कर प्रतिप्रेषित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना आवश्यक है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस के मध्य आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जे के अनुसार एंव राजस्व मण्डल कोटमेन्युअल भाग 2 के नियम 18–21 की पालना करते हुये पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर अन्तिम डिकी जारी की जावे जिससे कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस के मध्य अपनी जोत के विभाजन को लेकर कोई भी वाद विवाद उत्पन्न ना हो और मौके पर कब्जे व स्थगन का कानूनन विभाजन करवा सके। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्युवल भाग–2 के नियम 18 से 21 तक की प्रक्रिया की पालना किये बिना निर्णय एंव डिकी जैरे अपील पारित करने में त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने के योग्य है। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय की अन्तिम डिकी दिनांक 31.01.2020 को निरस्त किए जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये मौके व रिकोर्ड के अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव मगवाया जाकर अन्तिम डिकी पारित किए जाने हेतु निर्देशित किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम चेचट के खाता सं. 69 की कुल किता 3 की रकबा 0.29 है० भूमि स्थित है तथा ग्राम चेचट के खाता सं. 184 में किता 4 की रकबा 2.18 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 का प्रत्येक का हिस्सा 1/10 है। जिसमें प्रतिवादी नं. 4 कस्तूरीबाई की मृत्यु दिनांक 19.7.2013 को हो चुकी है जिसके वारिस वादी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 है। ग्राम चन्द्रपुरा के खाता सं. 36 में कुल किता 36 की रकबा 7.85 है० भूमि स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/10 तथा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नं. 2 का हिस्सा 3/10 है। वादी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 को वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का विभाजन करने हेतु किसी प्रकार से नही कहा गया है ओर ना ही रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा विभाजन करने से मना किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को अपने हिस्से की आराजीयात को रहन, बैय करने के पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 द्वारा वादी को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने में कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया जा रहा है बल्कि वादी आये दिन रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी नं. 1 लगायत 2 के साथ लडाई झगडा करता है।रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नं. 4 कस्तूरीबाई बेवा कान्हा जाति काठी निवासी चेचट की मृत्यु दिनाक 19.7.2013 को हो चुकी है तथा उसके वारिसान अपीलांट वादी एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी 1 लगायत 3 है। इसलिये वाद पत्र में से रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नं. 4 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना उक्त वाद चलने योग्य ना हो कर खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

डिक्री दिनांक 27.06.2019 में तहसीलदार रामगंजमण्डी को मोका कमिश्नर नियुक्त करके विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 की पालना में नायब तहसीलदार चेचट द्वारा मौके पर उपस्थित होकर दिनांक 12.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.12.2019 पर स्वयं नायब तहसीलदार चेचट के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में उभयपक्षकारान के हक हिस्से अनुसार तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है। विधिवत् रूप से तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2020 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2020 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2020 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हमारा खसरा संख्या 1205, 1213 व 1216 की भूमि से किसी प्रकार का सम्बंध नहीं है। खसरा सख्या 2465 रकबा 1.92 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 12 के खनन क्षेत्र की भूमि है जिसके नवीन नम्बर 1635 है। उक्त भूमि के रकबे 11 बीघा 18 बिस्वा में से आधा हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 12 के हक अधिकार का है। उक्त हिस्से की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 12 द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 05.3.2010 से खरीद किया गया है। वर्तमान में उक्त खरीदशुदा भूमि हमारे खाते दर्ज हो चुकी है। किसी अन्य पक्षकार का हमारी खरीदशुदा व खाते की भूमि में किसी प्रकार का स्वत्व तथा हक अधिकार नहीं है। हमारी खरीदशुदा भूमि को छोड़कर शेष भूमि का विभाजन करने में हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अन्त में रेस्पोडेन्ट संख्या 12 के कब्जे एवं खाते की खसरा नम्बर 1635 की 1/2 हिस्से की रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि को छोड़कर शेष भूमि का विधिनुसार विभाजन किए जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

वादी अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील केवल अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। वादी अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 में वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किए जाने हेतु आदेशित किया जाना अंकित है। राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व उभयपक्षकारान को सूचित किया जाना आवश्यक है। साथ ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु स्वयं तहसीलदार को मोके पर उपस्थित होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव पर हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार चेचट के हस्ताक्षर अंकित है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत चेचट द्वारा प्रश्नगत विभाजन पर किए गए हस्ताक्षर की दिनांक 06.01.2020 अंकित है तथा नायब तहसीलदार चेचट द्वारा प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव पर किए गए हस्ताक्षर की दिनांक 07.01.2020 अंकित है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव तैयार स्वयं नायब तहसीलदार चेचट द्वारा तैयार नहीं किया जाकर केवल भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.01.2020 को तैयार किया जाना प्रकट होता है तदुपरान्त नायब तहसीलदार चेचट द्वारा प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.01.2020 पर दिनांक 07.01.2020 को प्रतिहस्ताक्षर किया जाना प्रकट होता है। अतः प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व उभयपक्षकारान को जारी किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.01.2020 पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर/ अंगूठा निसानी भी अंकित नहीं है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभजान प्रस्ताव तैयार किए जाने से पूर्व उभयपक्षकारान को सूचित नहीं किया गया। चूंकि उभयपक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने की कोई सूचना नहीं दी गई थी अतः विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने के दौरान उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। हमारे मत में प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा उभयपक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है अतः उक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तैयार नहीं किए जाने के कारण त्रुटिपूर्ण है। उक्त त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2020 पारित की गई है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में वादग्रस्त

आराजी का विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाया जाना आवश्यक है तथा तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत विधि अनुसार आपत्तियों का निस्तारण करके अंतिम डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 142/2013 में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 31.01.2020 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 01.07.2025 को स्वयं उपस्थित रहें

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा